

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 04, गुरुवार, शाके 1948- जून 25, 2026 Asadha 04, Thursday, Saka 1948- June 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 22, 2026

संख्या प.5(138)खान/ ग्रुप-2/2009 :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एम.एम.डी.आर एक्ट, 1957 की धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक तथा परमाणु खनिज रियायती नियम(2016) के नियम 4(1) व 4(2) के अन्तर्गत क्षेत्र परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के पक्ष में क्षेत्र निकट ग्राम निवानिया-कीकावास, जिला उदयपुर में कुल 10.00 वर्ग किमी. क्षेत्र को परमाणु खनिज, आर.ई.ई. एवं एसोसियेटेड क्रिटिकल मिनरल्स के विस्तृत पूर्वक्षण कार्य हेतु (पूर्व में स्वीकृत/धारित खनन पट्टा, पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र एवं क्वारी लाइसेंस के क्षेत्र को छोड़कर) 5 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षित किया जाता है।

परमाणु खनिज रियायती नियम, (2016) के नियम 4(3) के अन्तर्गत उक्त वर्णित एवं अन्य खनिजों के लिए लंबित पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र, खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें निरस्त माना जायेगा।

आरक्षित किये जाने वाले उक्त क्षेत्र का विवरण

निकट ग्राम, निवानिया-कीकावास, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

टोपोशीट संख्या 45 L/2

ब्लॉक के सीमा बिन्दु	अक्षांश	देशांतर
A	24°39'46.74"N	74°03'25.38"E
B	24°38'28.55"N	74°05'37.40"E
C	24°37'27.24"N	74°04'53.68"E
D	24°38'44.40"N	74°02'40.75"E
कुल क्षेत्रफल- 10.00 वर्ग कि.मी. .		

उपरोक्त क्षेत्रों के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय अधीक्षण भू-वैज्ञानिक (फॉस्फेट), उदयपुर, खनि अभियन्ता, उदयपुर एवं निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

नम्रता वृष्णि,

विशिष्ट शासन सचिव।

3272

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।